राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी, देशल दान, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–42 / 2026
जीसीएमएस नं. 2026 / 42

दायर दिनांक :–29.04.2026
फैसल दिनांक :–06.05.2026

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री बाबुलाल कटारा पुत्र वालजी, निवासी–मालवी हाल पंजावी चिकन इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर

विपक्षी

उपस्थित :–

1. प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर–प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए (1) (2), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय के आदेश क्रमांक 63 (04) खा. वी. / एलपीजी / 2026–ई–00881 दिनांक 28.03.2026 की पालना में राज्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना एवं एलपीजी आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में निरीक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पालना में डूंगरपुर जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर दिनांक 20.03.2026 को घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर श्री हर्षिल कोडिया, प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह हिमांशु डामोर, प्रवर्तन निरीक्षक, की संयुक्त टीम द्वारा औचक निरीक्षण प्रतिष्ठान पंजाबी चिकन इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर का किया जाने पर 1 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर मय 0 कि.ग्रा. गैस का उपयोग करते हुए पाये गए। उक्त घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग एवं एलपीजी गैस कंट्रोल ऑर्डर, 2000 के क्लॉज संख्या 3, 4, 7 का उल्लंघन करना पाया जाने से संग्रहीत 1 घरेलू गैस सिलेंडर मय 0 कि.ग्रा. गैस, मेसर्स शिवांग एचपी गैस सर्विस, डूंगरपुर के मैनेजर श्री सुरेश वेरागी को बुलवाकर, रूबरू मोतबिरान के समक्ष सिलेंडर के एसआर नंबर, ग्रॉस वेट, टेयर वेट, गैस सिलेंडरों में संग्रहीत गैस का वेटिंग मशीन से तोल करवाकर, फर्द तल पट्टी, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगी एवं मौका पर्चा तैयार किया गया तथा 1 गैस सिलेंडर मय 0 कि.ग्रा. गैस जब्त कर गैस मेसर्स शिवांग एचपी गैस सर्विस, डूंगरपुर के मैनेजर श्री सुरेश वैरागी को सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 (1) ई.सी. एक्ट, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैस सिलेंडर को धारा 6(2) के तहत राजसात करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सुनवाई हेतु विपक्षी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। विपक्षी सूचना के बावजूद उपस्थित नही हुआ और न ही उसने कोई जवाब प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

प्रकरण में राजकीय पेरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जब्त शुदा गैस सिलेंडर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया एवं एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी के प्रतिष्ठान की जांच में 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर का भण्डारण पाया गया। विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी गैस कंट्रोल आर्डर 2000 के क्लॉज 3, 4, 7 अवहैलना होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी के प्रतिष्ठान पंजाबी चिकन इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर मे पाए गए 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6 ए (2) के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त 1 घरेलु एलपीजी गैस सिलेंडर का नियमानुसार निस्तारण कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(देशल दान)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)